न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 573–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक कमशः 01–02–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार म0प्र0 के प्रकरण कमांक 1/अ–13/2015–16

....

1–ईशाक पिता गुल मोहम्मद
2–दिलावर पिता गुल मोहम्मद
3–सत्तार पिता गुल मोहम्मद
सभी निवासी ग्राम नागोरा तहसील बदनावर
जिला धार म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–उस्मान पिता अकबर
2–मकसुद पिता अकबर
3–सिकंदर पिता मकसुद
4–मंसुर पिता उस्मान
सभी निवासी ग्राम नागोरा तहसील बदनावर
जिला धार म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः ७।।५।१६ को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–02–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार बदनावर जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के नाम से ग्राम नागोरा

स्थित भूमि सर्वे कमांक 398/1 रकबा 2.352 हेक्टेयर एवं आवेदक कमांक 2 के नाम से सर्वे कमांक 398/2 रकबा 2.353 हेक्टेयर है । उपरोक्त भूमियॉं एक दूसरे से लगकर मूल सर्वे कमांक 398 है। अनावेदक कमांक 3, अनावेदक कमांक 2 मकसुद का पुत्र है एवं अनावेदक कमांक 4, अनावेदक कमांक 1 उस्मान का पुत्र है। अनावेदकगण को अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के लिये एवं बैलगाड़ी, टेक्टर, हल–बख्खर, कृषि उपकरण एवं कृषि उपज लाने ले–जाने के लिये आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 391, 392, 394 व 395 के मध्य से 10 फीट का चौड़ा रास्ता था, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अनावेदकगण द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने के लिये संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–13/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 एवं 52 के अन्तर्गत प्रकरण अन्य न्यायालय में अन्तरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीदार द्वारा दिनांक 14–1–2016 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 488–पीबीआर/2016 प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा आगे कार्यवाही की जाकर दिनांक 1–2–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने के निर्देश राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

3/ प्रकरण दिनांक 05–07–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों एवं अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को के आधार पर किया जा रहा हैं।

4/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 3914–पीबीआर/–15 प्रचलित है, जिसमें दिनांक 9–12–15 को अभिलेख की मॉग की जाकर 3 माह तक के लिये स्थगन जारी किया गया है। आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में इसी आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलित होने से तहसीलदार द्वारा कार्यवाही राजस्व मण्डल में निगरानी के निराकरण तक स्थगित की जाये, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन रास्ता आवेदकगण की भूमि में से नहीं होकर दक्षिण–पश्चिम में सरकारी कॉकड़ से है ।

(3) तहसील न्यायालय इस न्यायालय के आदेशों के विपरीत बिना साक्ष्य लिये स्वयं निर्णय ले रहे हैं, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन अंतरिम रास्ते की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी रास्ता देने में विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में कार्यवाही लंबित रखना चाहते हैं, इसलिये इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की कर रहे हैं, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) तहसील न्यायालय में मौके पर जॉच रिपोर्ट एवं साक्ष्य से यह प्रमाणित हो गया है कि अनावेदकगण का प्रश्नाधीन रास्ता आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया गया है और आवेदकगण यह तथ्य प्रमाणित नहीं कर सके है कि प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर नहीं है ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष अभी कार्यवाही लंबित है जहॉ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3914–पीबीआर/15 में दिनांक 9–2–2015 को तीन माह के लिये स्थगन आदेश पारित किया गया है और तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के स्थगन के बावजूद अग्रिम कार्यवाही कर दिनांक 1–2–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जो कि जहॉ विधि विपरीत कार्यवाही है, वहीं इस न्यायालय की अवमानना भी है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदकगण की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । इस संबंध में आवेदकगण द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि अनावेदकगण के लिये सरकारी कॉकड़ से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जहॉ वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो, वहॉ अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । यहॉ महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि स्थल पंचनामा दिनांक 20–1–2016 में यह उल्लेख किया गया है कि अनावेदकगण के खेत में मसूर की आधी कटी हुई एवं आधी खड़ी फसल लगी है, जब अनावेदकगण के लिये रास्ता ही उपलब्ध नहीं था, तब उनके द्वारा फसल कैसे बोई गई । इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदकगण के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक प्रावधानों के विपरीत एवं अन्यायपूर्ण आदेश है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–02–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर